स्प्री 2025

सुरक्षित कार्यबल
विकसित व्यवसाय

नियोक्ताओं की मानसिक शांति, कर्मचारियों की सुरक्षा

विशेष पंजीकरण अभियान

1 जुलाई 2025 - 31 दिसम्बर 2025

सत्यमेव जयते

अधिक जानकारी के लिए https://www.esic.gov.in देखें या
अपने नज़दीकी शाखा कार्यालय / उप-क्षेत्रीय कार्यालय/ क्षेत्रीय कार्यालय से सम्पर्क करें

टॉल फ्री हेल्पलाइन : 1800-11-2526

स्प्री 2025 क्या है?

स्प्री 2025 अपंजीकृत नियोक्ताओं और अपने सभी पात्र कर्मचारियों को क.रा.बी. निगम के साथ पंजीकरण नहीं कराने वाले नियोक्ताओं को स्व-पंजीकरण हेतु प्रोत्साहित करने के लिए क.रा.बी. निगम द्वारा शुरू की एक विशेष पहल है।

अवधि: 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2025

उद्देश्य: पिछली अवधि के लिए किसी भी अंशदान, जुर्माना और कानूनी कार्रवाई के बिना क.रा.बी. अधिनियम के तहत सामाजिक सुरक्षा व्याप्ति का विस्तार करना।

किसे लाभ होगा?

नियोक्ता:

- क.रा.बी. निगम क्रियान्वित क्षेत्रों में 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले कारखाने या स्थापनाओं (दुकानें, होटल एवं रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, सड़क मोटर परिवहन स्थापनाएं, समाचार पत्र स्थापनाएं, निजी चिकित्सा संस्थाएं, शैक्षिक संस्थाएं और नगर निगमों के संविदा एवं अनियत मजदूर कर्मचारी) के नियोक्ता।
- जिन्होंने सभी पात्र कर्मचारियों का पंजीकरण नहीं कराया है

पंजीकरण कैसे करें?

www.esic.gov.in पर जाएं

अधिक सहायता के लिए देखें: https://portal.esic.gov.in/ESICInsurance1/ESICInsurancePortal/Employer_Employee_registration_through_portal.pdf

श्रम सुविधा पोर्टल: https://registration.shramsuvidha.gov.in/user/register

एमसीए पोर्टल: www.mca.gov.in

नियोक्ताओं को मुख्य लाभ

परेशानी मुक्त पंजीकरण प्रक्रिया

- क.रा.बी. निगम पोर्टल, श्रम सुविधा या एमसीए के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण
- पिछली अवधि के अंशदान जमा करने या जुमार्ना देने से छूट
- पिछली अवधि के अभिलेखों और निरीक्षण की आवश्यकता नहीं
- पिछली अवधि के लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं

कर्मचारी:

- पंजीकरण की तिथि से ही क.रा.बी. अधिनियम के तहत सामाजिक सुरक्षा का लाभ उठाएँ
- चिकित्सा देखभाल - स्वयं और परिवार के लिए प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक चिकित्सा हितलाभ
- रोजगार के दौरान बीमारी, मातृत्व और चोट या मृत्यु के लिए नकद हितलाभ
- वार्ड ऑफ आईपी योजना के तहत क.रा.बी. निगम चिकित्सा/दंत्य महाविद्यालयों में सीट आरक्षित

व्याप्ति की तिथि

नियोक्ता की व्याप्ति नियोक्ता द्वारा निर्धारित तिथि से मानी जाएगी

अवसर न गँवाएँ

चिंता से मुक्ति और अपने कर्यबल तथा उनके परिवारों का सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने के लिए आज ही पंजीकरण करें।

सत्यमेव जयते

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation
श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय
भारत सरकार
Ministry of Labour & Employment
Government of India

हमें फॉलो करें

क्यूआर कोड स्कैन करें